न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 222/2019

आरसीएमएस नं. :– 2019/00222

राजो देवी पुत्री अर्जुनराम पत्नी जसराम जाति जाट साकिन चक 5 एएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. बलराम पुत्र
2. गोपीराम पुत्र } अर्जुनराम जाति जाट साकिन चक 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा
3. सुलतान पुत्र } जिला हनुमानगढ।
4. कृष्णलाल पुत्र } अजुन राम जाति जाट साकिन पंडितावाली तहसील पीलीबंगा।
5. समी देवी पुत्र }
6. गिरदावरी पुत्री अर्जनराम पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
7. गोमती पुत्री अर्जन राम } पत्नी रेवंतराम जाति जाट साकिन भुटावाला तहसील
8. श्योपती पुत्री अर्जन राम } ऐलनाबाद जिला सिरसा, हरियाणा
9. दूली देवी पुत्री अर्जनराम पत्नी कृष्ण लाल जाति जाट साकिन चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा, हरियाणा।
10. कमला देवी पुत्री अर्जन राम पत्नी दलीप जाति जाट साकिन चिलकनी तहसील एलनाबाद जिला सिरसा, हरियाणा
11. संजीव पुत्र बलराम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12. संदीप पुत्र बलराम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. सुभाष पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
14. युधिष्ठर पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
15. सुनील पुत्र सुल्तान जाति जाट साकिन 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
16. पवन कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2019
द्वारा सहायक कलक्टर पीलीबंगा, प्र. सं. 153/2012
अनवान राजो देवी बनाम बलराम आदि

उपस्थितिः–

श्री जगराज सिंह भाटी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री खुशप्रीत सिह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 17

निर्णय दिनांक 26.07.2022

1. अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटा वादीया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र मे वाद पत्र की दफा 2 ता 4 में वर्णित भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करने वादीया का खाता अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से तकसीम कर रकम राज कायम करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर का शाश्वत व्यादेश जारी करने की कि वादीया के 1/11 हिस्सा को खुर्द बुर्द नही करे राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का वादीया के अधिकारों के विरूद्ध अंकन नहीं करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पेश किया कि वर्णित भूमि प्रश्नगत भूमि अर्जुनराम की स्वयं अर्जित भूमि थी जिसकी उसने वसीयत अपने पोतों के नाम कर दी थी, वादीया प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नहीं है। वाद वादीया खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने वादीया का वाद खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रस्तुत दस्तावेज वसीयतनामा में वाके चक 40 एनडीआर में प0 नं0 81/352 दर्ज है जो कतई गलत है तथा वसीयत में वर्णित रकबा चक 40 एनडीआर में नहीं है। इसी प्रकार चक 39 एनडीआर में वर्णित रकबा 50/352 चक में स्थित नहीं है। इस प्रकार दोनों वसीयत दस्तावेज अपीलांट के हितों पर निष्प्रभावी हैं क्योंकि वसीयत में वर्णित विषयवस्तु बदलने का अधिकार मात्र वसीयत करता को होता हे। मातहत अदालत ने स्वयं बिना किसी विधिक तरीके से वीसयत में वर्णित रकबे को मनमाने तरीके से बदल दिया जो कानूनन गलत है। अपीलांट ने साक्ष्य तौर पर दादा लेखूराम की ढाल बाछ की प्रमाणित प्रति पेश की थी जिससे साबित है कि वर्णित भूमि में वादीया का 1/11 हक हिस्सा है। तनकी नं. 2 का निर्णय तनकी सं0 1 के साथ कर अहम कानूनी भूल की है। तनकी नं. 3 में विवादित भूतमि अपीलांट के दादा स्व0 लेखराम की भूमि थी जो विरासतन स्व0 अर्जुन पर औद होने के कारण मुझ अपीलांट का 1/11 हक हिससा बनता है, विवादित भूमि को अर्जुनराम की स्वअर्जित भूमि मानकर प्रतिवादीगण की वसीयत को सही मानकर अहम कानूनी व वाकेआती भूल की है। अर्जनराम को 1/11 हिस्से से अधिक भूमि की वसीयत करने का अधिकार नही था परन्तु मातहत अदालत ने इन तथ्यों की और कोई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर की 3.745 है0 भूमि अर्जुन पुत्र लेखराम की स्वंय अर्जित कृषि भूमि थी, जिसकी उसने अपने पोतों के नाम से वसीयत संपादित कर दी तथा चक 40 एनडीआर की भूमि भी अपने पोतों के नाम से बदुरूस्ती होश हवास

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपनी समझ व रजामन्दी से रूबरू गवाहान वसीयत की है। अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत करने का अर्जनराम को अधिकार था। अपीलाण्ट इस भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की हकदार नहीं है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2005 पेज 71, आरआरडी 14.05.2016 पेज 281, 2016 डीएनजे (रेव) पेज 82, आरआरडी 1974 पेज 341, 2019 (2) आरआरटी पेज 896, 2008 आरएलडब्ल्यू (आरजे) पेज 707 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. तनकी नं. 1 यह थी कि ''आया वाद पत्र की दफा 2 ता 4 में वर्णित भूमि में वादीयाका विरास्तन 1/11 हक हिस्सा है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया/अपीलाण्ट का है अपीलाण्ट ने रोही बड़ोपल बारानी का खसरा नम्बर 328 में 50 बीघा दादा लेखूराम की ढाल बाछ पेश की है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है और अपीलाण्टान के दादा स्व0 लेखुराम की भूमि थी जो स्व0 अर्जुन पर औद होने के कारण अपीलाण्टान का 1/11 हक हिस्सा बनता है। इस तनकी का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

7. तनकी नं. 2 '' आया वाद पत्र में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है?'' चूंकि प्रश्नगत भूमि अपीलाटान के दादा स्व0 लेखुराम की भूमि थी जो स्व0 अर्जुन पर औद हुई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है। इस तनकी का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8. तनकी नं. 3 ''आया प्रतिववादीगण द्वारा तथाकथित वसीयत विधि विरूद्ध शून्य एवं वादीया के अधिकारों पर प्रभावहीन है?'' स्व0 अर्जुन राम द्वारा वसीयत करते समय विवादित भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी। कानूनन गैरखातेदारी रकबा की वसीयत शून्य होने के कारण अपीलाण्टान के हितों पर निष्प्रभावी है। अर्जुनराम को गैरखातेदारी भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अतः तथाकथित वसीयत अपीलाण्ट के अधिकारों पर प्रभावहीन है। इस तनकी का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lario
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. तनकी नं. 4 ''आया पिता अर्जुनराम के नाम तीनों की चकों की भूमि उसकी स्व अर्जित सम्पति है।'' जैसा की 1 नंबर तनकी में विवेचन किया जा चुका है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है और अपीलाण्टान के दादा स्व0 लेखुराम की भूमि थी जो स्व0 अर्जुन पर औद होने के कारण। प्रश्नगत भूमि अर्जनराम की स्वअर्जित भूमि नहीं थी। इस तनकी का निर्णय भी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. तनकी नं. 5 ''आया श्री अर्जनराम ने दिनांक 26.06.1990 को एक वैध व सही वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवाई थी?'' स्व0 अर्जनराम को 1/11 हिस्सा से अधिक भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं था तथा वैसे भी वसीयत करते समय प्रश्नगत भूमि गैरखातेदारी भूमि थी। अतः यह तनकी भी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित की जाती है।

11. तनकी नं. नं. 6 आया दादा अर्जुन राम द्वारा चक 34 एनडीआर की 3.745 है0 भूमि की वैध व सही वसीयत प्रतिवादी नं. 12 ता 17 के पक्ष में करवाई थी।' तनकी नं. 1 ता 5 का निर्णय अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है। अतः इस तनकी का निर्णय भी उन्हीं तनकीयात पर आधारित है। अतः इस तनकी का निर्णय भी अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

12. तनकी नं. 7 ''आया मुताबिक वसीयत प्रतिवादी इस भूमि के खातेदार हैं।– तनकी नं. 1 ता 7 के अनुसार प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि थी, जो गैर खातेदारी भूमि थी तथा अर्जुनराम द्वारा गैरखातेदारी भूमि की वसीयत की गई है। अतःप्रतिवादी इस भूमि के वसीयत के आधार पर खातेदार नहीं है। इस तनकी का निर्णय रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

13. अतः तनकीवार निर्णय किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2019 निरस्त किया जाता है एवं वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं वादीया राजो देवी को वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित चक 34 एनडीआर के प. नं. 93/352 किला नं. 19 ता 25 की 1.493 है0, मय गैर मुमकिन, प. नं. 92/352 किला नं. 25 की 0.253 है0 प. नं. 92/353 किलानं. 4 ता, 14, 15 की 1.518 है0 मय गैर मुमकिन प. नं. 93/353 किला नं. 1, 2 की 0.481 है0 मय गैरमुमकिन इस प्रकार कुल 3.745 है0

Lonio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मय गैर मुमकिन तथा वादीया के पिता अर्जुनराम के नाम से चक 39 एनडीआर के प. नं. 81/352 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है0 कमांड भूमि एवं वादीया के पिता अर्जुनराम के नाम से चक 40 एनडीआर के प. नं. 80/352 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है0 कमांड भूमि में वादीया/अपीलाण्ट राजो देवी पुत्री अर्जुन राम को 1/11 हक हिस्सा की हकदार व खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। विचारण न्यायायल सहायक कलक्टर पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 31.10.2019 शेष रहा रकबा की पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

15. निर्णय आज दिनांक 26.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़